न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 84/2022 (2022/115)

अपीलार्थीगण :-

1. कानाराम पुत्र गोरधनराम
2. पुखाराम पुत्र गोरधनराम
3. पप्पुराम पुत्र गोरधनराम
4. शोभाराम पुत्र गोरधनराम
   जातियान् माली, निवासीगण - ग्राम बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर।

> अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.09.2022 जो मुकदमा संख्या 3/2022 बअनवान सरकार बनाम कानाराम वगैरा में तहसीलदार बालेसर द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित किया गया।

उपस्थिति :-

अधिवक्ता श्री रोशनलाल (अपीलार्थीपक्ष)।

-: आदेश :- दिनांक :- 21.07.2023

अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 01.09.2022 जो मुकदमा संख्या 3/2022 बअनवान सरकार बनाम कानाराम वगैरा में तहसीलदार बालेसर द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसील बालेसर से तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस दिनांक 18.07.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.10 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री रोशन लाल ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर पारित किया गया है। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिवक्ता से उक्त प्रकरण की तारीख का पता करने गया तो अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलाधीन आदेश बिना बहस तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित कर दिया है। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 12.10.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 14.10.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त हुई। तत्पश्चात् अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद शुमार फरमावें।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि पटवारी हल्का बेलवा ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार बालेसर के समक्ष प्रस्तुत कर बतलाया कि ग्राम बेलवा के खसरा नं0 1274 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ता पर अपीलार्थीगण ने अवैध रूप से कब्जा व बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया। अपीलार्थीगण के नोटिस तामिल करवाये बिना तथा अपीलार्थी संख्या 03 को सनुवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अप्रार्थी को विधिवत् नोटिट तामिल नहीं करवाए गए एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया ऐसी अवस्था में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि खसरा संख्या 1274 राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिसकी किस्म मात्र गै0 मु0 रास्ता दर्ज है इसलिए प्रकरण में 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। बहस के अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.10 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलार्थी के पास न्यायोचित कारण होने तथा प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि ग्राम बेलवा का खसरा संख्या 1274 अपीलार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरे की 0.0486 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत् नहीं है अगर अपीलार्थीगण का उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण है तो अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 01.09.2022 जो मुकदमा संख्या 3/2022 बअनवान सरकार बनाम कानाराम वगैरा में तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित किया गया को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.10 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested